

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- I), उत्तर प्रदेश प्रयागराज

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0: प्र0म0ले0(लेखापरीक्षा-I)/परीक्षा/सी-1/2023/30

दिनांक: 30.11.2022

विषय: लिपिकों एवं एम.टी.एस. के लिए टंकण परीक्षा जनवरी - 2023

1. अनुकम्पा के आधार पर एवं खेल कोटा के अन्तर्गत नियुक्त तथा मल्टी टास्किंग स्टाफ(एम0टी0एस0) से प्रोन्नत लिपिकों के लिए अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट एवं हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की निर्धारित टंकण गति कम्प्यूटर पर प्राप्त करना अनिवार्य है। निर्धारित गति से टंकण न कर पाने वाले लिपिक वार्षिक वेतन वृद्धि आहरण या लिपिक वर्ग में स्थायी घोषित किये जाने का लाभ नहीं पा सकेंगे।
2. कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा के सम्बन्ध में मुख्यालय के परिपत्र संख्या- 73 /एन0जी0ई0 / 2005 No.714-NGE(App.) 46-2005 dated 12.12.2005 के क्रम में निर्गत कार्यालय आदेश संख्या-प्र0म0ले0(सि0आ0)/परीक्षा/सी-1/2006/760 दिनांक 23.12.2005 के अनुसार लिपिकों के लिए टंकण परीक्षा कम्प्यूटर पर देना अनिवार्य है।
3. इन्टरमीडियट या समकक्ष मल्टी टास्किंग स्टाफ (एम0टी0एस0) भी टंकण परीक्षा दे सकते हैं परन्तु विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत ही वे पदोन्नति के पात्र होंगे। विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण इन्टरमीडियट या समकक्ष मल्टी टास्किंग स्टाफ (एम0टी0एस0) जो पदोन्नति की प्रतीक्षा के कारण एम0टी0एस0 के पद पर कार्यरत हैं वे भी टंकण परीक्षा में बैठ सकते हैं। ऐसे कर्मचारी जो टंकण परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं उन्हें प्रोन्नति के उपरान्त टंकण परीक्षा में नहीं बैठना पड़ेगा।
4. टंकण परीक्षा दिनांक 10.01.2023 को 11.00 बजे प्रातः कम्प्यूटर प्रकोष्ठ में होगी जो 15 मिनट की अवधि की होगी। परीक्षा में बैठने के इच्छुक कर्मचारी निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन परीक्षा अनुभाग में दिनांक 15.12.2022 तक अवश्य जमा कर दें।

30/11/22

व0 लेखापरीक्षा अधिकारी/परीक्षा

सं0: प्र0म0ले0(लेखापरीक्षा-I)/परीक्षा/सी-1/2023/132

दिनांक: 30.11.2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- I) उ0प्र0, महालेखाकार (लेखापरीक्षा- II) उ0प्र0 एवं प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय) लखनऊ।
2. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- I), उ0प्र0 महालेखाकार (लेखापरीक्षा- II) उ0प्र0 एवं प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय) लखनऊ के सभी वर्गाधिकारी।
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा/कल्याण अधिकारी।

AAO/Admn
30/11/22

Admn.
Ord. 362
DT. 12/12/22